रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232773 CG-DL-E-20012022-232773

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

No. 32] NEW DELHI, V

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2022/पौष 29, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2022/PAUSHA 29, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2022

फा. सं. एमएंडएमपी/अधिसूचना(05)/एफएसएसएआई-2019.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्यांक फाईल संख्या एमएंडएमपी/अधिसूचना(05)/एफएसएसएआई-2019 तारीख 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खंड-4, में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) छठा संशोधन विनियम, 2021 प्रकाशित किये गए थे उक्त अधिसूचना में-

- 1. पृष्ठ 2, पंक्ति 4, 5 और 6 में "ये राज्यपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, खाद्य कारोबार प्रचालकों को 1 जुलाई, 2022 इन विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। घी के फैटी एसिड अंश के संबंध में इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन के 2 वर्ष पश्चात् प्रवृत्त होंगे।" के स्थान पर "ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, खाद्य कारोबार प्रचालकों को , घी के वसीय अम्ल संरचना को छोड़कर, इन विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन 1 जुलाई, 2022 से करना होगा। घी के वसीय अम्ल संरचना का अनिवार्य अनुपालन इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन के 2 वर्ष पश्चात् प्रवृत्त होंगा।" पढ़ा जाएगा;
- 2. पृष्ठ 3, पंक्ति 24 में, "फैटी एसिड प्रोफाइल" के स्थान पर "वसीय अम्ल संरचना" पढ़ा जाएगा;
- 3. पृष्ठ 3, पंक्ति 30 के पश्चात निम्नलिखित को रखा जायेगा,अर्थात.-

391 GI/2022 (1)

- "76) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना 28.4/2010-एफएसएसएआई (1) (भाग एफ), तारीख 3 नवम्बर, 2021; और
- 77) फा. सं. मानक/वैज्ञानिक समिति/ए-1.34/एन-1, तारीख 15 नवम्बर, 2021."

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./587/2021-22]

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA CORRIGENDA

New Delhi, the 19th January, 2022

- **F. No. M&MP/Notification (05)/FSSAI-2019.**—In the notification of Food Safety and Standards Authority of India, published the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Sixth Amendment Regulations, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. M&MP/Notification (05)/FSSAI-2019, dated the 27th December, 2021, -
- 1. Page 7, in lines 22, 23 and 24 for "Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st July,2022 except for fatty acid contents for ghee which shall come into force after two years of the publication of these regulations in the Official Gazette." read "Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations, except fatty acid composition of ghee, by 1st July, 2022. Mandatory compliance with the specified fatty acid composition of ghee shall commence after two years of publication of these regulations in the Official Gazette";
 - 2. Page 9, in the line 9, for "Fatty acid profile" read "Fatty acid Composition".

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./587/2021-22]